निजी एवं अनुदानित शैक्षणिक संस्थानों में मिलने वाली सुविधाओं का तुलनात्मक अध्ययन

तूलिका
इंस्टिट्यूट ऑफ एजुकेशन, शेपा, वाराणसी।

प्रस्तुत प्रपत्र निजी एवं अनुदानित शैक्षणिक संस्थानों में मिलने वाली सामान्य सुविधाओं, भौतिक संसाधनों की उपलब्धता, शिक्षण व्यवस्था एवं मानव संसाधन का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करता है। प्रस्तुत पत्र में निजी विद्यालय से तात्पर्य उन विद्यालयों से है जो स्ववित्तपोषित हैं तथा जिनका संचालन निजी प्रबंधकों द्वारा होता है जिसके लिए किसी प्रकार की सरकारी सहायता प्राप्त नहीं होती जबकि अनुदानित संस्थाओं को सरकारी सहायता प्राप्त होती है। प्रस्तुत प्रपत्र में इन दोनों प्रकार के विद्यालयों में पाई जाने वाली सुविधाओं का तुलनात्मक अध्ययन का निष्कर्ष प्रस्तुत किया जा रहा हैं।

महत्वपूर्ण शब्दावली *– निजी शैक्षणिक संस्थान, अनुदानित शैक्षणिक संस्थान, वैश्वीकरण, उदारीकरण, निजीकरण, स्ववित्तपोषित, उपभोक्ता संस्कृति, भौतिक संसाधन एवं मानव संसाधन।*

प्रस्तावना

समाज द्वारा शिक्षण संस्थाओं की स्थापना का मूलभूत उद्देश्य समाज के विचारों, आदर्शों, क्रिया कलापों, मानदण्डों, एवं परम्पराओं को आने वाली पीढ़ी को प्रदान करना होता है, जो निरन्तर विकास के लिए आवश्यक है। 21वीं शताब्दी में वैश्वीकरण (Globalisation), उदारीकरण (Liberalisation), निजीकरण (Privatisation) तथा उपभोक्ता संस्कृति (Consumerculture) की बात की जा रही है। आज शिक्षण संस्थाएँ एक बाजारीकरण संस्कृति की तरफ मुड़ रही हैं, जहाँ छात्र उपभोक्ता के रूप में देखे जा रहे हैं। आज शिक्षा के क्षेत्र में निजी संस्थाओं की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। कुछ संस्थाओं के पास अपना भवन भी नहीं है, वे किराये के भवनों में चलाये जा रहे हैं। जिन निजी संस्थाओं के पास अच्छे भवन हैं इनमें मनमानी फीस वसूली जाती है। पैसे की वजह से बढ़िया संसाधन निर्मित करके ये शिक्षण संस्थाएँ विश्वविद्यालयों से सम्बद्धता भी प्राप्त कर रहे हैं। निजी संस्थाओं में अच्छे भवन, शान्त वातावरण, स्वच्छ एवं बड़े कमरे बुनियादी सुविधाओं जैसे–पीने का पानी, शौचालय, फर्नीचर, कम्प्यूटर, खाद्यान्न, खेल के मैदान, पुस्तकालय, वाचनालय, आवागमन के साधन, कैंटीन, प्रयोगशालाएँ, पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं की उपयुक्त व्यवस्था होती है। अध्यापकों द्वारा अधिक शिक्षण सेवा लेने से परीक्षा परिणाम

भी निजी संस्थाओं का उत्तम आता है जबकि अध्यापक कार्यदायित्व बोझ से दबे रहते हैं।

कई अनुदानित संस्थाओं के भवन या तो अधूरे बने हैं या जीर्ण–शीर्ण अवस्था में हैं। इन संस्थाओं में बुनियादी सुविधाओं जैसे–पीने का पानी, शौचालय, फर्नीचर, कम्प्यूटर, खाद्यान्न, खेल के मैदान, पुस्तकालय, वाचनालय, आवागमन के साधन, कैंटीन, प्रयोगशाला एवं पाठ्य सहगामी क्रियाओं आदि की व्यवस्था अनुपयुक्त स्थिति में देखने को मिलती है। अध्यापकों की संख्या आवश्यकता से कम है। अनुदानित संस्थाओं के अध्यापक शिक्षणेतर कार्यदायित्व के बोझ से दबे होते हैं जिससे उनकी सेवायें नियमित रूप से नहीं मिल पाती हैं। शिक्षक हाजरी लगाकर अपने कर्तव्य की इतिश्री समझ लेते हैं।

आज देश का आभिजात्य वर्ग निजी शिक्षण संस्थाओं में अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने में गर्व महसूस कर रहा है। फलतः अनुदानित एवं सरकारी शिक्षण संस्थाओं की स्थिति दोयम दर्जे की होती जा रही है। देश का एक बड़ा वर्ग सरकारी शिक्षण संस्थानों से दूर होता जा रहा है। जबकि निजी शिक्षण संस्थाओं की संख्या दिन रात चौगुनी कुकुरमुत्ते की तरह बढ़ती जा रही है। सरकारी एवं अनुदानित शिक्षण संस्थाओं की तुलना निजी शिक्षण संस्थाओं से नहीं की जा सकती है क्योंकि सुविधाओं के विषय में वे उनकी तुलना में निम्न स्तरीय प्रतीत हो रहे हैं। निजी शिक्षण संस्थाएँ दान स्वरूप बहुतायत में धनराशि भी प्राप्त करती हैं जिसका प्रयोग वे सुविधाओं को बढ़ाने में देती हैं। इनका बजट 50 प्रतिशत फीस तथा 50 प्रतिशत दान से पूरा होता है। इन संस्थाओं में राजनीति के लिए कोई स्थान नहीं है। निजी शिक्षण संस्थाओं से एक ही भय है कि ये अपनी डिग्रियाँ बेचने न लग जायें। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास से इनका कोई लगाव नहीं होता है जबकि सरकारी एवं अनुदानित शिक्षण संस्थाओं में देश का ग्रामीण वर्ग भी कम फीस में शिक्षा प्राप्त कर सकता है। उपर्युक्त स्थिति को देखते हुए प्रस्तुत अध्ययन के विषय का चयन किया गया है।

1.2 अध्ययन का उद्देश्य

- ❐ निजी एवं अनुदानित संस्थाओं को प्राप्त होने वाली सुविधाओं का अध्ययन।
- ❐ दोनों संस्थाओं के अध्यापकों द्वारा राष्ट्रीयता के विकास हेतु किये जाने वाले कार्यक्रमों का अध्ययन।
- ❐ दोनों संस्थानों को प्राप्त भौतिक सुविधाओं का तुलनात्मक अध्ययन करना।
- ❐ अध्यापक एवं विद्यार्थी के अन्तर्सम्बन्ध को ज्ञात करना।
- ❐ सरकारी स्तर एवं निजी स्तर पर अध्यापक एवं विद्यार्थी के स्तर को ज्ञात करना।
- ❐ दोनों संस्थानों के छात्रों के जागरूकता का अध्ययन करना।
- ❐ दोनों संस्थाओं के छात्रों का अनुशासन सम्बन्धी दृष्टिकोण ज्ञात करना।

1.3 उपकल्पनाः

- ❐ निजी संस्थानों में सुविधायें ज्यादा हैं क्योंकि अनुदानित संस्थानों की अपेक्षा फीस भी ज्यादा है।
- ❐ निजी संस्थानों में अनुदानित संस्थाओं की तुलना में सुविधाओं का रख–रखाव ज्यादा है।
- ❐ निजी संस्थाओं के अध्यापकों का मानव संसाधन के रूप में दोहन अनुदानित संस्थाओं के अपेक्षाकृत ज्यादा है।
- ❐ निजी संस्थाएँ, अनुदानित संस्थाओं की अपेक्षा अपने फायदे के विषय में ज्यादा सोचती हैं।
- ❐ गुरू शिष्य परम्परा अनुदानित संस्थाओं की अपेक्षा निजी संस्थाओं की ज्यादा है।

- ❒ अनुदानित अध्यापकों का स्तर चयन प्रक्रिया के आधार पर निजी संस्थाओं के अध्यापकों की अपेक्षा गुणात्मक रूप से अधिक अच्छा होता है।
- ❒ सरकारी संस्थानों की तुलना में निजी संस्थानों में जागरूकता ज्यादा मिलती है।
- ❒ अनुदानित संस्थाओं में निजी संस्थाओं की तुलना में ज्यादा अनुशासन पाया जाता है।

1.4 अध्ययन विधियाँ

प्रस्तुत अध्ययन हेतु कार्योत्तर तथ्य परीक्षण शोध प्रारूप का चयन किया गया है। जिसमें प्राथमिक व द्वितीयक दोनों प्रकार से सूचनाओं का संकलन किया गया है। प्राथमिक स्रोत के अन्तर्गत वास्तविक स्थल में जाकर सम्बन्धित व्यक्तियों से साक्षात्कार करके अनुसूची की सहायता से प्रत्यक्ष निरीक्षण करते हुए आँकड़ों को एकत्रित किया गया है। शोधकर्त्री द्वारा शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा एकत्रित सामग्री, ऑफिस रिकार्ड, प्रकाशित पत्रिकायें, इन्टरनेट बेबसाइट द्वारा तथ्यों का संकलन एवं आंकलन स्वयं के अध्ययन हेतु द्वितीयक सामग्री के रूप में किया गया है। तथ्यों के संकलन हेतु अनुसूची साक्षात्कार एवं प्रेक्षण प्रविधियों का प्रयोग किया गया है।

1.5 प्रतिदर्श का आकार

प्रस्तुत अध्ययन हेतु 5 निजी एवं 5 अनुदानित संस्थाओं का चयन किया गया है। अर्थात कुल इकाइयों की संख्या 10 शैक्षणिक संस्थान है। अध्ययन का क्षेत्र वाराणसी जिले तक परिसीमित है।

1.6 उपकरण

निजी एवं अनुदानित विद्यालयों में पाई जाने वाली सामान्य, भौतिक, शिक्षण व्यवस्था सम्बन्धी, मानव संसाधन सम्बन्धी, सामाजिक कार्यो में भागीदारी एवं राष्ट्रीयता के विकास सम्बन्धी सुविधाओं से सम्बन्धित स्वनिर्मित एवं स्तरीकृत प्रश्नावली का उपयोग किया गया।

1.7 अध्ययन की प्राप्तियाँ

सामान्य सुविधायें

प्रस्तुत अध्ययन में वाराणसी जिले के अन्तर्गत पाँच निजी एवं पाँच अनुदानित संस्थाओं का चयन किया गया है। जिनके अध्ययन के आधार पर निम्न प्राप्तियाँ प्राप्त हुई हैं:–

- ❒ समस्त निजी एवं अनुदानित संस्थाओं के भवन का स्वरूप किराये का न होकर निजी होना पाया गया।
- ❒ अनुदानित संस्थाओं के पड़ोस में घनी आबादी पाई गयी जबकि निजी संस्थाओं में शान्त वातावरण पाया गया।
- ❒ अनुदानित एवं निजी दोनों ही संस्थाओं में पर्याप्त कमरे पाये गये हैं। 55 प्रतिशत अनुदानित संस्थाओं में हवादार खिड़कियाँ एवं कुछ कमरों में प्रकाश की व्यवस्था असंतोषप्रद, फर्नीचर एवं पंखे की उचित व्यवस्था नहीं पायी गयी। निजी संस्थाओं में कमरे, खिड़की, प्रकाश एवं फर्नीचर की स्थिति सन्तोषप्रद पायी गयी है।
- ❒ निजी संस्थाओं में पेयजल हेतु वाटर कूलर एवं शुद्ध पेयजल की व्यवस्था पायी गयी है। 25 प्रतिशत अनुदानित संस्थाओं में पेयजल व्यवस्था हैण्डपम्प एवं बोरिंग एवं 25 प्रतिशत वाटर कूलर की व्यवस्था शुद्ध पेयजल हेतु पायी गयी है।
- ❒ शौचालय की पर्याप्त व्यवस्था निजी एवं अनुदानित संस्थाओं में पायी गयी है।

भौतिक संसाधन की उपलब्धता

- ❒ वाराणसी जिले में 35 प्रतिशत निजी संस्थाओं में छात्रावास की सुविधा पायी गयी है। जबकि अनुदानित संस्थाओं में छात्रावास की सुविधा 15 प्रतिशत ही उपलब्ध है।

- 75 प्रतिशत निजी संस्थाओं में कैंटीन की सुविधा उपलब्ध है जबकि अनुदानित संस्थाओं में कैंटीन की सुविधा नगण्य है।
- खेलकूद सम्बन्धी मैदान की सुविधा अनुदानित संस्थाओं में पर्याप्त है निजी संस्थाओं में खेलकूद सम्बन्धी मैदान उपलब्ध है परन्तु छात्र के अनुपात में अपर्याप्त पाये गये हैं।
- प्राथमिक चिकित्सालय अनुदानित संस्थाओं में नहीं है जबकि 25 प्रतिशत निजी संस्थाओं में चिकित्सालय की उपलब्धता है और 15 प्रतिशत निजी संस्थाओं में चिकित्सक की नियुक्ति है।
- अग्निशामक की एक निजी संस्थान में उपलब्धता है जबकि अनुदानित संस्थान में नहीं है।
- परिवहनीय सुविधा 100 प्रतिशत निजी संस्थाओं में है जबकि अनुदानित संस्थाओं में 15 प्रतिशत हैं।
- पुस्तकालय की सुविधा दोनों ही संस्थाओं में हैं। केवल 45 प्रतिशत निजी संस्थाओं एवं 25 प्रतिशत अनुदानित संस्थाओं में ही शोध पत्रिकायें एवं समाचार पत्रों की प्राप्ति सम्बन्धी स्थिति संतोषप्रद है।
- 75 प्रतिशत निजी संस्थाओं में पृथक कम्प्यूटर लैब की व्यवस्था है। सभी अनुदानित संस्थाओं में कम्प्यूटर लैब की पृथक व्यवस्था पायी गयी है।
- इन्टरनेट की सुविधा 25 प्रतिशत निजी संस्थाओं में पाई गई है। 15 प्रतिशत निजी संस्थाओं में इन्टरनेट की सुविधा तो है पर छात्रों की पहुँच से दूर है।
- कूलर व वातानुकूलन की व्यवस्था दोनों प्रकार की संस्थाओं में संगणक कक्ष एवं शिक्षक कक्ष में ही पाई गई है।

शिक्षण व्यवस्था से सम्बन्धित

- दोनों संस्थाओं में कक्षा में समय पर अध्यापकों का उपस्थित होना पाया गया है। अनुदानित संस्थाओं की अपेक्षा निजी संस्थाओं में शिक्षकों की उपस्थिति विद्यालय के पूरे कार्यक्रमानुसार होती है। अनुदानित संस्थाओं में शिक्षकों की उपस्थिति निजी संस्थाओं की तुलना में संतोषप्रद नहीं पाई गई।
- 75 प्रतिशत निजी संस्थाओं में विद्यार्थी समय पर कक्षा में उपस्थित होते हैं जबकि अनुदानित संस्थाओं में 65 प्रतिशत विद्यार्थी कक्षा में समय पर उपस्थित होते हैं।
- दोनों ही संस्थाओं में पुस्तकालय की सुविधा का प्रयोग छात्रों द्वारा होना पाया गया। निजी संस्थाओं में पुस्तकालय सुविधा का प्रयोग छात्रों द्वारा संतोषप्रद स्थिति में पाया गया।
- 100 प्रतिशत अनुदानित संस्थाओं द्वारा मेधावी छात्रों को प्रोत्साहन हेतु पारितोशिक वितरित किया जाता है। 25 प्रतिशत निजी संस्थाओं में पारितोशिक नहीं दिया जाता है।
- अनुदानित संस्थाओं में अध्यापक एवं विद्यार्थियों का सम्बन्ध प्रजातांत्रिक निजी संस्थाओं में प्रजातांत्रिक एवं मुक्त पाया गया।

मानव संसाधन

- पुस्तकालय अध्यक्ष की नियुक्ति दोनों प्रकार के संस्थाओं में 100 प्रतिशत पाई गयी है परन्तु 25 प्रतिशत निजी संस्थाओं में उचित शैक्षिक योग्यता नहीं पाई गई। अनुदानित संस्थाओं में पुस्तकालय अध्यक्ष का चयन शैक्षिक योग्यतानुसार हुआ है।
- प्रयोगशाला सहायक की प्रयोगशाला में नियुक्ति अनुदानित संस्थाओं में शत प्रतिशत है जबकि 25 प्रतिशत निजी संस्थाओं में ही प्रयोगशाला सहायक की नियुक्ति है।
- निजी संस्थाओं में अध्यापकों की संख्या पर्याप्त नहीं पाई गई। शिक्षकों पर कार्यदायित्व अधिक है। 50 प्रतिशत अनुदानित संस्थाओं में अध्यापकों की संख्या पर्याप्त पाई गई।

- समस्त अनुदानित संस्थाओं में मँहगाई भत्ता अध्यापक एवं कर्मचारियों को देय है। सभी निजी संस्थाओं में मँहगाई भत्ता की सुविधा देय नहीं है।
- 45 प्रतिशत निजी संस्थाओं में अध्यापन के प्रति दायित्व बोध महिलाओं में एवं अनुदानित संस्थाओं में अध्यापन के प्रति दायित्व बोध महिला एवं पुरूष दोनों में बराबर पाया गया है।

सामाजिक कार्यो में भागीदारी एवं राष्ट्रीयता के विकास सम्बन्धी उत्तरदायित्वः

- 100 प्रतिशत निजी एवं 100 प्रतिशत अनुदानित दोनों संस्थाओं में एन0सी0सी0 / एन0एस0एस0 / स्काउट गाइड का आयोजन होना पाया गया है।
- अन्य सामाजिक कल्याण सम्बन्धी कार्यक्रमों का आयोजन निजी संस्थाओं में लगभग नगण्य है केवल 25 प्रतिशत संस्थाओं द्वारा नाली सफाई, स्वच्छता कार्यक्रम किया गया है। 100 प्रतिशत अनुदानित संस्थाओं में सामाजिक कल्याण सम्बन्धी कार्यक्रमों के अन्तर्गत रक्तदान शिविर, नाली सफाई, स्वच्छता के कार्यक्रम का आयोजन किया गया है।
- पर्यावरण जागरूकता हेतु 75 प्रतिशत एवं 100 प्रतिशत अनुदानित संस्थाओं में वृक्षारोपण के कार्यक्रम का आयोजन किया गया है।

उपसंहार

- निजी संस्थाओं में शिक्षण एवं गैर शिक्षण कर्मचारियों की संख्या पर्याप्त न होने से गुणवत्ता पर असर होता है। जहाँ संस्था पर्याप्त है उनकी योग्यता में कमी है।
- मँहगाई भत्ता की सुविधा अनुदानित संस्थाओं में देय है जबकि निजी संस्थाओं द्वारा शिक्षण कर्मचारी गैर शिक्षण कर्मचारियों को किसी प्रकार का मँहगाई भत्ता की सुविधा देय नहीं पाई गई है।
- अनुदानित संस्थाओं में राष्ट्रीयता के विकास हेतु सामाजिक कार्यों में भागीदारी निजी संस्थाओं की अपेक्षा ज्यादा पाया गया है।

सुझाव

- निजी संस्थाओं द्वारा भौतिक सुविधाओं के अलावा शिक्षण सम्बन्धी गुणवत्ता को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिये।
- ग्रामीण क्षेत्रों के विकास का भी निजी संस्थाओं को ध्यान रखना चाहिये जिससे शिक्षा तक गरीब ग्रामीण की पहुँच भी ज्यादा हो सके।
- अनुदानित संस्थाओं में शिक्षकों के पुस्तकालय, मल्टीमीडिया के गुणवत्ता के स्तर को बढ़ावा दिया जाना चाहिये।
- प्रयोगशाला में प्रयोगशाला सहायक की नियुक्ति पर ध्यान देना चाहिये।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

[1] पाण्डेय, के0पी0 (1998) शैक्षिक अनुसंधान, विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी

[2] माथुर, एस0एस0 (1996) टीचर एण्ड सेकेण्डरी एजुकेशन, विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा

[3] Government of India (1964-66) Report of the Education commission; (1952-53) Report on the Second Education commission (1948-49) Report on the University Education commission National policy on Education

[4] N.C.E.R.T. (1978) Teacher Education curriculum framework Fifth all India Educational Survey

[5] Website: www.collegeeducation.gov.in; www.legco.gov.nic; www.adhranews.net N.C.T.E. norms website links www.ncte.in.org